<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-05072025-264419 CG-DL-E-05072025-264419

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 476] No. 476] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 3, 2025/आषाढ़ 12, 1947 NEW DELHI, THURSDAY, JULY 3, 2025/ASHADHA 12, 1947

भारतीय रिज़र्व बैंक

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2025

फा. सं. विवि.आरईटी.आरईसी. 24/12.01.001/2025-26.— भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (1) और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 18 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 56 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 06 दिसंबर 2024 की पूर्व अधिसूचना विवि.आरईटी.आरईसी.53/12.01.001/2024-25 के आंशिक संशोधन में, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद् द्वारा अधिसूचित करता है कि दिनांक 06 सितंबर, 04 अक्तूबर, 01 नवंबर, 29 नवंबर 2025 से प्रारंभ होने वाले रिपोर्टिंग पखवाड़ो से प्रभावी प्रत्येक बैंक का औसत आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को क्रमश: उसकी निवल मांग और मीयादी देयताओं के 3.75 प्रतिशत, 3.5 प्रतिशत, 3.25 प्रतिशत और 3.0 प्रतिशत बनाए रखना होगा।

आर. लक्ष्मी कांत राव. कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./209/2025-26]

4413 GI/2025 (1)

RESERVE BANK OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2025

F. No. DoR.RET.REC.24/12.01.001/2025-26.— In exercise of the powers conferred under the sub-section (1) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 and sub-section (1) of Section 18 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), read with Section 56 thereof, and in partial modification of the earlier notification DoR.RET.REC.53/12.01.001/2024-25 dated December 06, 2024, the Reserve Bank of India hereby notifies that the average Cash Reserve Ratio (CRR) required to be maintained by every bank shall be 3.75 per cent, 3.5 per cent, 3.25 per cent and 3.0 per cent of its net demand and time liabilities effective from the reporting fortnight beginning September 6, October 4, November 1 and November 29, 2025, respectively.

R. LAKSHMI KANTH RAO, Executive Director [ADVT.-III/4/Exty./209/2025-26]